

प्रेस विज्ञप्ति

शातिर अपराधी कुंटू सिंह के 3 सहयोगियों के विरुद्ध 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही

1-सूर्य प्रकाश उर्फ घल्लर पुत्र लछिराम निवासी आरिफपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़

1. अभियुक्त सूर्य प्रकाश उर्फ घल्लर पुत्र लछिराम शातिर किस्म का अपराधी व्यक्ति है। यह आए दिन मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का अभ्यस्त है। इसके अपराधिक प्रवृत्ति से आम जनता के मध्य भय एवं आतंक व्याप्त है इसके भय व आतंक से इसके द्वारा किए गए छोटेमोटे अपराधों की - सूचना जनता का कोई भी व्यक्ति थाने में देने की एवं माननीय न्यायालय में साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है।
2. दिनांक 03.05.2020 को अभियुक्त सूर्य प्रकाश उर्फ घल्लर निवासी उपरोक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ वादी मुकदमा के तार के खंभे हटाने को लेकर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया व अपने मोबाइल से अपराधी कुंटू सिंह से वीडियो कॉल करके बात कराया व मोबाइल से धमकी देने की घटना के संबंध में दिनांक 04..05.2020 को वादी मुकदमा हरिनाथ तिवारी पुत्र रामबली तिवारी निवासी खरारस्तीपुर थाना जीयनपुर की लिखित सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 122/20 धारा 386/504/506/507 भादवि बनाम उपरोक्त अभियुक्त व 5 नफर के पंजीकृत कर मुकदमे की विवेचना संपादित की गई। उक्त विवेचना में आरोप पत्र संख्या ए-195-ए दिनांक 24. 07.2020 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है।

2- फैसल खान पुत्र अनवर निवासी अतरकच्छा थाना जीयनपुर आजमगढ़

- 1- दिनांक 02.11.2020 को अभियुक्त फैसल खान पुत्र अनवर निवासी अतरकच्छा थाना जीयनपुर आजमगढ़ अपने सह अभियुक्त संग वादी मुकदमा के साथ अधिकारीगण के सामने एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किया गया उक्त घटना के संबंध में दिनांक 02.01.2020 को वादी मुकदमा मोहम्मद वसीम खान पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी (ग्राम प्रधान) अतरकच्छा थाना जीयनपुर की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 361/20 धारा 147/323/504/325 भादवि बनाम फैजल खान व 10 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना संपादित की गई।
विवेचना उपरोक्त में आरोप पत्र संख्या ए375 दिनांक 25.12.2020 को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है।

2- दिनांक 10.11 2020 को अभियुक्त फैसल खान अपने सह अभियुक्त के साथ मनरेगा में काम देने को लेकर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह से बात कराना व काम देने से मना करने पर धमकी देने पर मुकदमा अपराध संख्या 378/20 धारा 147/386/504/120बी भादवि विरुद्ध फैजल खान व 5 नफर के पंजीकृत किया गया।

विवेचना में आरोप पत्र संख्या 76ए दिनांक 14. 04.2021 को माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

3- रवि प्रकाश तिवारी उर्फ पप्पू पुत्र जनार्दन तिवारी निवासी खरारस्तीपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़

1-दिनांक 03.05.2020 को अभियुक्त रवि प्रकाश तिवारी उर्फ पप्पू पुत्र जनार्दन तिवारी अपने सह अभियुक्तों के साथ वादी मुकदमा के तार के खंभे हटाने को लेकर गाली गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देते हुए ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू से वीडियो कॉल करके बात कराना व मोबाइल से धमकी देने की घटना के संबंध में दिनांक 04.05.2020 को मुकदमा अपराध संख्या 122/20 धारा 386/504/506/507 भादवि बनाम रवि प्रकाश तिवारी उर्फ पप्पू आदि 5 नफर पंजीकृत कर विवेचना संपादित की गई। जिसमें समय आरोप पत्र संख्या 95बी-ए दिनांक 24.07.2020 प्रेषित किया गया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्त अभियुक्त द्वारा किए गए उपरोक्त क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि अभियुक्त दुस्साहिस किस्म के व्यक्ति है जिससे आम जनता में काफी भय व आतंक बना हुआ है। इनका आम जनता के मध्य स्वतंत्र रखना जनहित व न्याय हित में उचित नहीं है इनके कुकृत्य पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु धारा 3(1) उ.प्र.गुंडा निवारण अधिनियम की कार्यवाही की गई है।

थाना अतरौलिया

फेसबुक पर गाली गुप्ता देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त द्वारा अपने मोबाइल से फेसबुक पर राजनैतिक दल विशेष को गाली गुप्ता देते हुये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। जिससे विभिन्न वर्गों में शत्रुता पैदा होने व विवाद होने की प्रबल सम्भावना को देखते हुए धानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता के तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/22 धारा 67 IT Act व 505 (2) IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बनाम 1. मो0 इस्लाम हुसैन पुत्र शमीम अंसारी निवासी ग्राम तपनी थाना गड़वार जनपद बलिया हाल पता सैरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 15.06.22 को SO मदन कुमार गुप्ता मय हमराह का0 मनीष चौहान, का0 रामाशीष प्रजापति, का0 सुमन प्रभात के द्वारा मु0अ0सं0- 208/22 धारा 67 IT Act व 505 (2) IPC से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 इस्लाम हुसैन पुत्र शमीम अंसारी निवासी ग्राम तपनी थाना गड़वार जनपद बलिया हाल पता सैरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, को उसके घर से कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय 8.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 208/22 धारा 67 IT Act व 505 (2) IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मो0 इस्लाम हुसैन पुत्र शमीम अंसारी निवासी ग्राम तपनी थाना गड़वार जनपद बलिया हाल पता सरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

बरामदगी –अभियुक्त का मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. SO मदन कुमार गुप्ता
2. का0 मनीष चौहान
3. का0 रामाशीष प्रजापति
4. का0 सुमन प्रभात थाना अतरौलिया

थाना- कप्तानगंज

लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त रूकेश राजभर पुत्र श्यामदेव राजभर निवासी पिपरी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के द्वारा आवेदिका/पीड़िता के हाथ को गलत नियत से पकड़ना व शरीर को छूना तथा आवेदिका के घर के दरवाजे पर चढकर लड़ाई झगडा करना, धमकी देना और प्रार्थिनी की बिधवा माता को भी धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 176/22 धारा 354-ख/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त रूकेश उपरोक्त के पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह के द्वारा मु0अ0सं0 176/22 धारा 354ख/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रूकेश राजभर पुत्र श्यामदेव राजभर निवासी पिपरी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ को काशी करवट मोड़ से कारण गिरफ्तारी बताते हुये आज 14.06.2022 को समय करीब 7.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 176/22 धारा 354ख/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रूकेश राजभर पुत्र श्यामदेव राजभर निवासी पिपरी थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उजितेन्द्र सिंह 0नि0
2. कापंकज यादव 0
3. कानित्यानन्द सिंह 0

थाना बिलरियागंज

गिरफ्तारी 01 नफर वांछित अभियुक्त

दिनांक 31.05.2022 को समय रात्रि करीब 20.00 बजे ग्राम छीही (हरिजन बस्ती) थाना बिलरियागंज आजमगढ़ से सूचना मिली की दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुँची तो पीड़ित पक्ष के श्रीमती रीना पत्नी राजेन्द्र प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष, बालकिशुन पुत्र स्व० सुमेर राम उम्र करीब 50 वर्ष, राधेश्याम पुत्र सुमेर राम उम्र करीब 36 वर्ष, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कुबेर राम उम्र करीब 40 वर्ष आदि को विपक्षी गण द्वारा मारा पीटा गया था। पीड़ित पक्ष के उपरोक्त लोगो को सी०एच०सी० बिलरियागंज में इलाज हेतु ले जाया गया जहाँ पर पीड़ित पक्ष की रीना पत्नी राजेन्द्र उपरोक्त की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण चिकित्सक द्वारा जिला चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर किया गया था। रीना देवी को जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। आवेदक श्री रविन्द्र प्रसाद पुत्र स्व० कुबेर राम निवासी ग्राम छीही थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 111/2022 धारा 147/148/149/323/307/302/504/506 भा०द०वि० बनाम केदार पुत्र बुद्धू आदि 10 नफर पंजीकृत किया गया था।

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 15.06.2022 को मय हमराहीयान के नसीरपुर चौराहे से विनोद कुमार पुत्र नगई सा० छीही थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम कोकिलपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 08.55 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. विनोद कुमार पुत्र नगई सा० छीही थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 111/2022 धारा 147/148/149/323/307/302/504/506 भा०द०वि०

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. SO विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का० राकेश तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का० विनय यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का० अतुल यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

आत्महत्या के दुष्प्रेरण मे वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

आज दिनांक 15.06.2022 को अपराध निरीक्षक वैकटेश तिवारी मय हमराही कर्मचारीगण के द्वारा मु०अ०स०-63/2022 धारा-498ए/306 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़ सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता रमावती देवी पत्नी स्व० बृजराज निवासिनी ग्राम कादीपुर उसरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, को अभियुक्ता के घर से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्ता का नाम पता:-

रमावती देवी पत्नी स्व० बृजराज निवासिनी ग्राम कादीपुर उसरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०स०-63/2022 धारा-498ए/306 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

अपराध निरीक्षक वैकटेश तिवारी मय हमराह का० दीपक यादव, का०मुकेश चौधरी, का० दिनेश यादव, म०का० शिखा चौहान थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त विभांशु उर्फ विभु पुत्र शेषनाथ यादव निवासी ग्राम भोपतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने अन्य तीन साथियों के साथ वादिनी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को उठा ले जाना। जिसके सम्बन्ध में वादिनी की लिखित तहरीर पर दिनांक 15.05.2022 को मु0अ0सं0 188/2022 धारा 363/366/506/120बी भादवि 3(2)V SC/ST ACT बनाम 1. विमू s/o शेषनाथ यादव ग्राम भोपतपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 2. आदित्य s/o राजमोहन पाण्डेय ग्राम तकिया मुहल्ला चौरैयाकोट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ 3. आकाश पुत्र अज्ञात 4. सौरभ तिवारी पुत्र अज्ञात निवासीगण अज्ञात पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक जहानागंज प्रमेन्द्र कुमार सिंह के प्रर्यवेक्षण मे उ0नि0 योगेन्द्र कुमार पाल मय हमराह हे0का0 शोभनाथ यादव का0 राजप्रताप यादव के द्वारा मु0अ0सं0 188/22 धारा 363/366/506/120बी आईपीसी 3(2)v sc/st act से सम्बन्धित अभियुक्त विभांशु उर्फ विभु पुत्र शेषनाथ यादव ग्राम भोपतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को मंदे बाजार से समय करीब 09.55 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 188/2022 धारा 363/366/506/120बी भादवि 3(2)V SC/ST ACT थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त विभांशु उर्फ विभु पुत्र शेषनाथ यादव निवासी ग्राम भोपतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- प्र0नि0 प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार पाल थाना जहानागंज आजमगढ़
3. हे0का0 शोभनाथ यादव थाना जहानागंज आजमगढ़
4. का0 राजप्रताप यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.06.22 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 हरेन्द्र यादव का0 अखिलेश यादव के द्वारा मु0अ0सं0 142/22 धारा 363, 366 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त अमित पुत्र राजदेव सा0 कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ को समय करीब 10.05 बजे परशुरामपुर बाजार से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 142/2022 धारा 363, 366 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अमित पुत्र राजदेव सा0 कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO ब्रह्मदीन पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 हरेन्द्र यादव का0 अखिलेश यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

थाना- रानी की सराय

एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 15.06.22 को जयप्रकाश ओझा मय हमराह कां0 राजेश कुमार व कां0 आलोक कुमार के क्षेत्र में मौजूद थे थे कि मुखबीर खास आकर बताया कि एक व्यक्ति रानी की सराय के तरफ से असलहा लेकर लेकर आ रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर मय हमराही व मुखबीर को साथ कोटिला बाईपास पर पहुँचे तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखायी दिया जिसको मुखबिर ने इशारा करके बताया की साहब यही व्यक्ति है जिसके पास असलहा है और मुखबिर वहा से हट गया। सम्बन्धित को रोकने का प्रयास किया गया तो अपनी मो0 सा0 रोककर पीछे के तरफ भागना चाहे कि वही पर हमराही कर्मचारीगण की मदद से पकड़ लिया गया।

नाम पता पूछा गया तो अपना नाम विवेक सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह ग्राम हुसेपुर रामजियावन थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद कट्टा 315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ मो0सा0 को देखा गया तो उसके नम्बर प्लेट पर UP50AU9822 लिखा है जो होण्डा स्पलेण्डर है वाहन का पेपर तलब करने पर नहीं दिखा सका। अभियुक्त को समय करीब 08.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गाड़ी को 207 MV ACT में सीज किया गया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 188/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

विवेक सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह ग्राम हुसेपुर रामजियावन थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बरामदगी-

एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
पंजीकृत अभियोग- 1- मु0अ0सं0 0188/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0188/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 183/21 धारा 295/153ए/120बी भा0द0वि0 थाना कोतवाली, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 304/2020 धारा 147/148/149/307 भा0द0वि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 307/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 396/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 22/2021 धारा 307/411 भा0द0वि0 व 25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

विवेक सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह ग्राम हुसेपुर रामजियावन थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बरामदगी-

एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 जयप्रकाश ओझा, कां0 राजेश कुमार, कां0 आलोक कुमार थाना रानी की सराय
जनपद आजमगढ़।